न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 92/2013

वादी :-

1. राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, जैतारण
लैण्ड होल्डर, तहसील-जैतारण,
जिला-पाली (राज0)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. तुलछाई पत्नि रामदेव
जिला-माली, नि0-रारा
2. कैलाशचन्द्र पुत्र हुकमाराम
जाति-ब्राह्मण नि0-आ0कालू
3. रामजीवण पुत्र सुगनचन्द
जाति-ब्राह्मण, नि0-अमरपुरा
4. कानाराम पुत्र भंवरुराम सुथार
नि0-जसनगर (नागौर)
5. दामोदर पुत्र गुलाबचन्द महेश्वरी
मुन्दड़ा नि0बलाड़ा,तह.-जैतारण

राजस्व वाद बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.13.03.2013**

उपस्थितः- 1. तहसीलदार, जैतारण उपस्थित।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 29/06/2015**

प्रार्थी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी तहसीलदार के पद पर कार्यरत् है एवं सरकार के प्रतिनिधि के रुप में भूमिधारी है। अप्रार्थी की खातेदारी आराजी सरहद मौजा-रावड़ियावास में ख.नं. 205, 206, 207, 208, 208/1 रकबा 33-08 बीघा किस्म चा0सो0, गै0मु0 लगान 48.56 रुपये की आई हुई है। उक्त भूमि कृषि योग्य है और अप्रार्थी ने कृषि प्रयोजनार्थ अर्थात कृषि कार्य हेतु विभिन्न खातेदारों से क्रय की गई थी। उक्त भूमि कृषि भूमि है और उसका उपयोग केवल मात्र कृषि कार्य में ही करने के अप्रार्थी अधिकारी है। अप्रार्थी उक्त आराजी में से रकबा 33-08 बीघा किस्म चा0चा0 पर कृषि से अकृषि कार्य मौके पर आवासीय कॉलोनी के रुप में उपयोग किया जा रहा है। इस प्रकार प्रति0 के द्वारा खातेदारी भूमि में बिना अनुमति आवासीय कॉलोनी के रुप में उपयोग कर खातेदारी शर्तो (अधिकार) का उल्लंघन किया गया। प्रार्थी को अप्रार्थी द्वारा जमीन मुतनाजा का कृषि भिन्न कार्य (अकृषि कार्य) में उपयोग लेने की सूचना प्राप्त होने पर अप्रार्थी के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो समयावधि में है।

इस प्रकार प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात एवं मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि प्रति0 को उक्त विवादित आराजी की भूमि से बेदखल किये जाने की इस्तदुआं की हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये नोटिसेज वास्ते ज0दा0 तलब किया गया। प्रति0 संख्या 2, 3 6 बावजूद तामील के उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रति0 ने सरहद मौजा-रावड़ियावास, तहसील-जैतारण में खसरा नम्बर खसरा नम्बर 205, 206, 207, 208, 208/1 रकबा 33-08 बीघा किस्म चा0सो0, गै0मु0 में आवासीय कॉलोनी के रुप में में लेने के संबंध में पटवारी हल्का से फर्द मौका जांच रिपोर्ट ली गई। पटवारी हल्का ने राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–राबड़ियावास में फर्द मौका रिपोर्ट पेश की कि मौके पर उक्त खसरा नम्बरान् में काश्त की जा रही हैं। वर्तमान में मौके पर कोई आवासीय कॉलोनी नहीं हैं। फर्द मौका रिपोर्ट सा0मि0 की गई। चूँकि प्रतिवादीगण द्वारा उक्त खसरा नम्बरान् की भूमि काश्त के रूप में उपयोग में ले रहे हैं। लिहाजा वादी का वाद खारिज योग्य होने से खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

–::आदेश::–

अतः पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा उक्त खसरा नम्बरान् की भूमि काश्त के रूप में उपयोग में ले रहे हैं। लिहाजा वादी का वाद खारिज किया जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 29/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–राबड़ियावास पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- **श्री घनश्याम शर्मा , आर०ए०एस०**

वादी :-

1. राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, जैतारण
लैण्ड होल्डर, तहसील-जैतारण,
जिला-पाली (राज०)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. तुलछाई पत्नि रामदेव
जिला-माली, नि0-रास
2. कैलाशचन्द्र पुत्र हुकमाराम
जाति-ब्राह्मण नि0-आ0कालू
3. रामजीवण पुत्र सुगनचन्द
जाति-ब्राह्मण, नि0-अमरपुरा
4. कानाराम पुत्र भंवरुराम सुथार
नि0-जसनगर (नागौर)
5. दामोदर पुत्र गुलाबचन्द महेश्वरी
मुन्दड़ा नि0बलाड़ा,तह.-जैतारण

<u>राजस्व वाद बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

मु0न0 :रा0वा0 स0: 92/2013

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरू ....-........ व हाजरी तहसीलदार, जैतारण उपस्थित मिनजानिब मुद्दई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा उक्त खसरा नम्बरान् की भूमि काश्त के रूप में उपयोग में ले रहे हैं। लिहाजा वादी का वाद खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ... .-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 29/06/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला-पाली)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः-			मिजानः-		

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner